न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
332 / प्रा0पत्र / 2017	27.11.2017	07.05.2018

1. छीतर आ0 भंवरगर (गिरी) जाति बाबाजी निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)
2. ऐजन पुत्री भंवरगर (गिरी) पत्नी मांगी लाल जाति बाबाजी निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

– प्रार्थीगण

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646–649 / रीडर / 2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण छीतर आ0 भंवरगर (गिरी) जाति बाबाजी निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी व ऐजन पुत्री भंवरगर (गिरी) पत्नी मांगी लाल जाति बाबाजी निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी ने जर्ये अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा के द्वारा दिनांक 17.11.2017 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.–02, बूदी के न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 29 / 2016 उनवान छीतर बनाम देवीलाल का वाद लोक अदालत की भावना से जर्ये राजीनामा दिनांक 10.01.2017 को प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को कोर्ट फीस 62,160 / – रूपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस

भुगतान हेतु प्रमाण पत्र एवं प्रारूप संख्यांक C/17/114 दिनांक 16.11.2017 जारी किया गया है। अतः प्रार्थीगण को कोर्ट फीस राशि 62,160/– रूपये का भुगतान किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.–02 बूदी के प्रमाण पत्र एवं प्रारूप संख्यांक C/17/114 दिनांक 16.11.2017 से प्रार्थीगण को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 62,160/– रूपये (अक्षरे– बासठ हजार एक सौ साठ रूपये) लौटाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.–02 बूदी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 25000/– रूपये के 02 नग, स्टाम्प नम्बर 011353 व 011354, 5000/– रूपये के 02 नग, स्टाम्प नम्बर 136894 व 136895, 1000/– रूपये के दो नग, स्टाम्प नम्बर 067690 व 067691, 20/– रूपये के 08 नग, कुल नग 14, कुल स्टाम्प राशि 62,160/–रू0 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स् 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 62,160/– रूपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 3885/– रू0 की कटौती करते हुये शेष राशि 58,275/–रूपये (अक्षरे अट्ठावन हजार दौ सौ पिचहत्तर रूपये) का भुगतान प्रार्थीगण श्री छीतर आ0 भंवरगर (गिरी) जाति बाबाजी निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील तालेड़ा व ऐजन पुत्री भंवरगर (गिरी) पत्नी मांगी लाल जाति बाबाजी निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील तालेड़ा को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/5/18

(नरेश कुमार मालव, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)